फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामलाल . बनाम विपक्षी : श्री नारायण व अन्य

पत्रावली संख्या : 27/25

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 5, 6 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से करा कर रसीद व डिलीवरी सर्टिफिकेट पेश किये। डिलीवरी सर्टिफिकेट से विपक्षी संख्या 5, 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 6 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 7 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नही होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नही किया गया।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नही रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सरवानिया पटवार हल्का पीथलपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 25 की आराजी न. 544 किता 1 रकबा 0.0900 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नही की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का [illegible] कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चि[illegible] पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना [illegible] कर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर [illegible] का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:01:58 IST
Reason: SelfAttested